


३४-०८-२३ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी  
सैंप उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाते पर  
भी वकील वादी या वादी सैंप उपस्थित नहीं हुए।  
रत वादी का वादपत्र अदम पेंसकी-अदम हाजिरी  
में इसी स्तर पर खोजि किया जाता है। पत्रावली  
का तरीका तकमील होकर डाकिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर लुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

  
(अनिता बिशनोई)  
RAS